



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062026-273746
CG-DL-E-23062026-273746

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3211]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2026/आषाढ 2, 1948

No. 3211]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ASHADHA 2, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2026

का.आ. 3344(अ).— केन्द्रीय सरकार, जनविश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको, उक्त अधिनियम के उपबंध जहां तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की अनुसूची की क्रम सं. 69 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से है, जो कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का 11) से संबंधित है, प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. सीबीए2-13011/1/2020-सीबीए2]

रुपिन्दर बरार, अपर सचिव

MINISTRY OF COAL**NOTIFICATION**

New Delhi, the June 23rd, 2026

S.O. 3344(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the *Jan Vishwas* (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the date of publication of this notification as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 69 and the entries relating thereto in the Schedule of the said Act, relating to the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015), shall come into force.

[F. No. CBA2-13011/1/2020-CBA2]

RUPINDER BRAR, Addl. Secy.